संपादकीय

भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा के तहत स्कूली शिक्षा को पूर्णता में, अर्थात् पूर्व-प्राथमिक शिक्षा से उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर तक के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराना सुनिश्चित किया गया है जिसमें "सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा" पर ज़ोर देते हुए गुणवत्तापूर्ण, समावेशी एवं न्यायोचित शिक्षा प्रत्येक बच्चे तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी कड़ी में *भारतीय आधुनिक शिक्षा* का यह अंक भी इन्हीं मार्गदर्शी सिद्धांतों को अपनाते हुए विभिन्न लेखों एवं शोध पत्रों के आधार पर गुणवत्तापूर्ण विद्यालयी एवं शिक्षक शिक्षा को विस्तार देने की भूमिका निभाता है।

'गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में निरंतरता के लिए पूर्व-प्राथमिक शिक्षक की तैयारी' के अंतर्गत लेखिका ने बताया है कि गुणवत्तापूर्ण पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के लिए किए गए पेशेवर विकास संबंधी प्रयास किस प्रकार अपना प्रभाव डालते हैं। अत: सभी पूर्व-प्राथमिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों, नियमित सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा वर्तमान एवं भविष्य के शिक्षकों के मददगारों, जो 3–6 वर्ष की आयु के बच्चों के साथ काम करते हैं, को एक नवीनतम गुणवत्तापूर्ण पाठ्यचर्या मुहैया कराने की आवश्यकता है। गाँधीजी द्वारा स्थापित 'नई तालीम' शिक्षा पद्धति के वर्तमान स्वरूप एवं स्थिति का जायज़ा लेते हुए लेख "बदलते परिप्रेक्ष्य में 'नई तालीम' शिक्षा पद्धति का वर्तमान स्वरूप" में यह बताने का प्रयास किया गया है कि वर्तमान समय की शैक्षिक समस्याओं, रोज़गार समस्याओं, मूल्यों एवं अनुशासन के गिरते स्तर, समाज में आर्थिक एवं सामाजिक भेदभाव इत्यादि का समाधान करने तथा देश में सामाजिक एकरूपता, आपसी सद्भाव लाने के लिए तो हमें गाँधीजी की 'नई तालीम' शिक्षा पद्धति का पुनः अध्ययन करके नये समाज की ज़रूरतों के अनुकूल उसे नये तरीके से लागू करना होगा।

'राष्ट्रीय एकता और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की भूमिका' पर आधारित लेख में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारतीय भाषाओं के मध्य हिंदी संपर्क भाषा के रूप में क्या योगदान दे सकती है? उसकी इस संभावित भूमिका पर प्रकाश डाला गया है।

मेक इन इंडिया और *डिजिटल इंडिया* जैसी योजनाओं को सफल बनाने के लिए हमारे विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा की आवश्यकता पर केंद्रित 'उच्च शिक्षा की प्रवृत्तियाँ एवं चुनौतियाँ' नामक लेख है। वहीं, लेख 'विद्यालयी शिक्षा का समकालीन परिप्रेक्ष्य' विद्यालय के बदलते संस्थागत स्वरूप पर चर्चा के साथ शुरू होता है। तदुपरांत विश्लेषित किया गया है कि विद्यालय अपने कलेवर को बदलने के बावजूद अपने क्रियाकरण में आज भी समाज से अलगाव को बनाए हुए है। लेख 'ज्ञान के सृजन हेतु शिक्षण' के अंतर्गत बताया गया है कि विद्यालय ज्ञानार्जन के ऐसे केंद्र बनें, जहाँ सतत नवीन ज्ञान का सृजन हो।

आज, पूरे भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया शहरीकृत या 'रुर्बन' क्षेत्रों में, 'अंतर्राष्ट्रीय स्कूल' बड़े स्तर पर खुल रहे हैं। ये स्कूल दावा करते हैं कि वे 'आधुनिक' शिक्षा प्रदान करते हैं। इन्हीं अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों में अध्ययन करने वाले ग्रामीण बच्चों की अस्मिता के निर्माण की प्रक्रिया को समझने के लिए

शोध अध्ययन 'ग्रामीण समाज और अंतर्राष्ट्रीय स्कूल में आधुनिक शिक्षा' किया गया है। शोध अध्ययन के नतीजे बताते हैं कि स्कूल और बच्चे के सामाजिक अनुभवों के बीच एक विरोधाभास है; जो आधुनिकता से जुड़े मूल्यों और बच्चे के सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ के बीच संभावित तनाव के संदर्भ में बच्चे की अस्मिता के संकट का कारण बनता है।

शोध पत्र 'भारतीय समाज के संदर्भ में बालकों की लैंगिक समाजीकरण प्रक्रिया का अध्ययन' नारीवादी परिप्रेक्ष्य के आधार पर लड़कों के लैंगिक समाजीकरण का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत करता है। वहीं, 'उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर ज़िले में स्थित प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा का समीक्षात्मक अध्ययन' पर आधारित शोध पत्र गाज़ीपुर ज़िले के सात ब्लॉकों के 26 विद्यालयों के मात्रात्मक एवं गुणात्मक तथ्यों के आधार पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के पश्चात् प्रारम्भिक शिक्षा व्यवस्था की वास्तविक स्थिति को बताता है। जबकि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के आधार पर ही शोध पत्र 'अवैध रूप से कोयला खनन करने वाले मज़दूरों के बच्चों के लिए शैक्षिक अवसर' में झारखंड के रामगढ़ ज़िले के कोयला खनन क्षेत्र के अवैध रूप से कोयला खनन करने वाले मज़दूरों के बच्चों के लिए उपलब्ध शैक्षिक अवसरों एवं विद्यालयों के अवलोकन के आधार पर विद्यालयी शिक्षा की वास्तविक स्थिति को चित्रित करने का प्रयास करता है।

'समावेशी शिक्षा प्रतिमान में कक्षा शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया' नामक शोध पत्र में शोधक द्वारा बताया गया है कि आज भी ज़्यादातर कक्षाओं में शिक्षक केवल व्याख्यान विधि का ही उपयोग करते हैं। वहीं, शासकीय विद्यालय में कक्षाएँ समावेशी शिक्षा के अनुकूल पाई गईं जबकि अशासकीय विद्यालय में कक्षाएँ समावेशी शिक्षा के प्रतिकूल पाई गईं। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता हेतु अध्यापक-शिक्षकों की पेशेवर क्षमता का समय-समय पर उन्नयन आवश्यक है। इसी कड़ी में शोध पत्र 'शिक्षक-प्रशिक्षकों की वृत्तिक विकास हेतु सेवाकालीन प्रशिक्षण की आवश्यकता का अध्ययन' में दर्शाया गया है कि वित्तपोषित एवं स्व-वित्तपोषित बी.एड. शिक्षक-प्रशिक्षकों द्वारा स्वयं का व्यक्तित्व, विद्यार्थी-शिक्षकों को समझना, सामान्य शिक्षण एवं शिक्षणशास्त्र, पाठ्यक्रम, शिक्षा के क्षेत्र में दक्षता, क्षेत्र/प्रायोगिक क्रियाकलाप में दक्षता तथा शैक्षिक तकनीकी के ज्ञान को प्राथमिकता दी गई।

आप सभी की प्रतिक्रियाओं की हमें सदैव प्रतीक्षा रहती है। आप हमें लिखें कि यह अंक आपको कैसा लगा। साथ ही, आशा करते हैं कि आप हमें अपने मौलिक तथा प्रभावी लेख, शोध पत्र, आलोचनात्मक समीक्षाएँ, श्रेष्ठ अभ्यास (Best Practices), पुस्तक समीक्षाएँ, नवाचार एवं प्रयोग, क्षेत्र अनुभव (Field Experiences) आदि प्रकाशन हेतु ई-मेल journal.ncert.dte@gmail.com पर या हमारे पते अकादमिक संपादक, अध्यापक शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली-110016 पर भेजेंगे।

अकादमिक संपादकीय समिति